सत्यमेव जयते

वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

एपीडा
APEDA

वार्षिक

लेखा रिपोर्ट

2023-2024

वार्षिक लेखा रिपोर्ट 2023-24

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

विषय सूची

1.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	5-10
2.	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	11
3.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता	12
4.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां (1 - 2)	13
5.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (3)	14
6.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (4)	15
7.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (5)	16
8.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (6, 7 और 8)	17
9.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (9 और 10)	18
10.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची (11 और 12)	19
11.	मार्च 31, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (1)	20
12.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (2)	21
13.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (3, 4, 6 और 7)	22
14.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण (5)	23
15.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अतिरिक्त समूह (8, 9, 10 और 11)	24
16.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अतिरिक्त समूह (12 और 13)	25
17.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अतिरिक्त समूह (14)	26
18.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता	27
19.	वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए लाभ समाधान विवरण	28
20.	अनुसूची 13 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	29-30
21.	अनुसूची 14 - आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	31-33

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के खातों के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अधिनियम , 1985 की धारा 18(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा) की संलग्न तुलन-पत्र की और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है | ये वितीय विवरण एपीडा के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं| हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है|

2. पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण और सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतीयों, लेखांकन मानदंडों और प्रकटन मानकों आदि के अनुपालन के लिए अपनायी गयी लेखांकन कार्य विधि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ दी गई हैं| कानूनों, नियमों तथा विनियमों(मालिकाना तथा नियमितता) और दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के लिए वित्तीय लेन-देन के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है|

3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है | इन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है की हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें की क्या वित्तीय विवरण में कोई उल्लेखनीय गलत विवरण तो नहीं दिया गया है | एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में राशि तथा प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है | एक लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना और वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है | हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए उचित आधार होती है |

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

I. हमने वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से अनिवार्य थे |

II. इस रिपोर्ट में उल्लेखनीय तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिए गए हैं |

III. हमारी राय में एपीडा ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा18(1) के अंतर्गत लेखों की उचित बही और अन्य संगत रिकॉर्ड रखें हैं जैसा की हमारे द्वारा ऐसी खाता बहियों की जांच से प्रतीत होता है |

1. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. 31 मार्च 2024 तक बैलेंस शीट

क. 1 निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकरूप प्रारूप के अनुसार, अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि, या इकाई द्वारा विशिष्ट या निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए रखी गई राशि और जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए इनका उपयोग किया जाना है, उसके लिए व्यय/उपयोग किए जाने के लिए शेष राशि को निर्धारित/बंदोबस्ती निधि शीर्षक के अंतर्गत प्रकट किया जाना आवश्यक है।

एपीडा को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है जिसका उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाना है। यद्यपि एपीडा ने निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची 12) पर अनुसूची तैयार की है, लेकिन इसे खातों के एकरूप प्रारूप के अनुसार बैलेंस शीट के मुख्य पृष्ठ पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बजाय, निर्धारित/बंदोबस्ती निधि पर अनुसूची में शुद्ध शेष राशि को आय और व्यय खाते में दिखाया गया है।

इसलिए, निर्धारित/बंदोबस्ती निधि की प्रस्तुति उस सीमा तक अपर्याप्त है।

क. 2 चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-3): ₹5,825.49 लाख

क. 2.1 अन्य चालू देयताएं: ₹4,491.09 लाख

निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस): ₹963.00 लाख

(क) उपरोक्त में चुनार, मिर्जापुर में 'सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र' परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के रूप में ₹699.00 लाख शामिल हैं। एपीडा ने परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य सीपीडब्ल्यूडी को दिया था और सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान की गई राशि को अचल संपत्ति (प्रगतिशील पूंजीगत कार्य) के रूप में दिखाया गया था।

एपीडा की महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 5 (ग) के अनुसार, विशेष रूप से अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को पूंजीकृत किया जाता है और संबंधित राशि को पूंजी रिजर्व में रखा जाता है, और ऐसी अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास पूंजी रिजर्व से कम कर दिया जाता है।

इस प्रकार, अचल संपत्तियों के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान को पूंजी रिजर्व के बजाय चालू देनदारियों के तहत दिखाने के परिणामस्वरूप पूंजी रिजर्व को कम करके और चालू देनदारियों को ₹ 699.00 लाख से अधिक दिखाया गया।

(ख) उपरोक्त में मेसर्स हयात सेंट्रिक को देय ₹13.47 लाख की राशि को शामिल नहीं किया गया है।

23 जनवरी 2024 को, मेसर्स हयात सेंट्रिक ने देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निर्यातक सम्मेलन सह क्रेता-विक्रेता बैठक के दौरान एपीडा अधिकारियों और आयातकों के ठहरने के लिए होटल आवास शुल्क के लिए ₹13.47 लाख के भुगतान के लिए एक चालान प्रस्तुत किया। हालाँकि, उपरोक्त चालानों के लिए विक्रेता को देय राशि को अन्य वर्तमान देनदारियों के अन्तर्गत दर्ज नहीं किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹13.47 लाख से कम दिखाया गया है और निर्धारित निधियों में से व्यय को भी कम दिखाया गया है।

क. 2.2 प्रावधान: ₹1,216.04 लाख

उपरोक्त में 2015-16 से 2021-22 तक के वर्षों के लिए सीएजी लेखा परीक्षा शुल्क के बकाया प्रावधान के लिए 19.28 लाख की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और प्रावधानों को 19.28 लाख से

कम करके दिखाया गया है और अधिशेष को उसी राशि से अधिक करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूंजीगत निधि को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

ख. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता

ख. 1 व्यय: 3,098.14 लाख

(क) वर्ष 2023-24 के दौरान, एपीडा को एपीडा की वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के बाजार विकास घटक के लिए विशेष रूप से ₹500 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। इस अनुदान में से एपीडा द्वारा 117.15 लाख रुपये का प्रशासनिक व्यय (जैसे एलटीसी दावों के लिए भुगतान, इंटरनेट लीज लाइन के लिए शुल्क, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय और आईटी प्रणालियों के संचालन और रखरखाव समर्थन के लिए व्यय आदि) किया गया। हालाँकि, चूंकि ये व्यय योजना के बाजार विकास घटक से संबंधित नहीं थे, इसलिए इन्हें एपीडा के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप व्यय को कम दिखाया गया और अधिशेष को अधिक दिखाया गया और इसी के अनुरूप कॉर्पस/पूंजीगत निधि को ₹117.15 लाख अधिक दिखाया गया। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप समान राशि से निर्धारित/बंदोबस्ती निधि को भी कम दिखाया गया।

(ख) वर्ष 2023-24 के दौरान, एपीडा को एपीडा की वित्तीय सहायता योजना के एनईआर घटक के लिए विशेष रूप से ₹540 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। इस अनुदान से एपीडा द्वारा 11.94 लाख रुपये का प्रशासनिक व्यय (जैसे कार्यालय की वस्तुओं की खरीद, जनशक्ति सेवाओं की भर्ती और टैक्सी आदि की भर्ती) किया गया। हालाँकि, चूंकि ये खर्च योजना के एनईआर घटक से संबंधित नहीं थे, इसलिए इन्हें एपीडा के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप व्यय को कम बताया गया और अधिशेष को अधिक बताया गया, इसके साथ ही कॉर्पस/पूंजी निधि को ₹ 11.94 लाख से अधिक बताया गया। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप निर्धारित/बंदोबस्ती निधि को भी उसी राशि से कम करके दिखाया गया।

ख. 2 स्थापना व्यय (अनुसूची-9): ₹1,810.44 लाख

उपरोक्त में वर्ष 2023-24 के दौरान एपीडा के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावों और यात्रा भत्ता दावों के संबंध में ₹18.24 लाख की राशि शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय को कम करके दिखाया गया है और अधिशेष को ₹18.24 लाख से अधिक दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूंजी निधि को भी अधिक दर्शाया गया है और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को भी उसी राशि से कम करके दर्शाया गया है।

ख. 3 अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-10): ₹1,084.93 लाख

उपरोक्त में ₹61.03 लाख की राशि शामिल नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित है और एपीडा द्वारा नियुक्त सलाहकारों के वेतन (₹ 30.74 लाख), मुद्रण और स्टेशनरी और सफाई शुल्क (18.21 लाख) और किराया और बिजली बिल (₹12.08 लाख) के लिए देय है। इसका भुगतान एपीडा द्वारा अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के दौरान किया गया था। हालाँकि, चूंकि व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित था, इसलिए इसके लिए देयता को वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त व्यय के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय कम बताए गए और अधिशेष ₹61.03 लाख से अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस/पूंजीगत निधि को भी अधिक दिखाया गया है और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को भी उसी राशि से कम दिखाया गया है।

ग (अनुदान सहायता)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एपीडा को 80 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ| एपीडा को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए नियोजित योजना ("निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता") ₹5.40 करोड़ और नियोजित योजना अन्य क्षेत्रों के लिए ₹74.60 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई | ये सहायता तीन वस्तु शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त हुई:

(राशि रूपये में)

वस्तु शीर्ष	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्राप्त सहायता	निर्यात और अन्य क्षेत्रों के लिए प्राप्त सहायता
सामान्य अनुदान सहायता	2,00,00,000	5,00,00,000
सब्सिडी	2,00,00,000	46,00,00,000
पूंजीगत संपत्ति के निर्यात के लिए अनुदान	1,40,00,000	23,60,00,000
कुल	**5,40,00,000**	**74,60,00,000**

एपीडा द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए अनुदानों का आवंटन और इन योजनाओं के अंतर्गत बुक किया गया वास्तविक व्यय निम्नानुसार था:

वस्तु शीर्ष	प्राप्त सहायता (रु.)	एपीडा के संबंधित योजना घटक	वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया खर्च	अधिक/कम उपयोग (रु.)
सामान्य अनुदान सहायता	5,00,00,000	बाजार विकास	46,00,16,402	(41,00,16,402)
सब्सिडी	46,00,00,000	गुणवत्ता विकास	5,00,64,927	(40,99,35,073)
पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान	23,60,00,000	अवसंरचना के निर्यात के लिए विकास	23,60,34,809	(34,809)
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामान्य अनुदान सहायता	5,40,00,000	पूर्वोत्तर विकास निधि	5,40,01,853	(1,853)
कुल	**80,00,00,000**		**80,01,17,991**	**(1,17,991)**

उपरोक्त से, यह देखा गया कि कुल मिलाकर, एपीडा ने वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय से प्राप्त अनुदान का पूरा उपयोग किया है। हालाँकि, एपीडा ने 'सब्सिडी' के वस्तु शीर्ष के तहत किया प्राप्त राशि का उपयोग बाजार विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जबकि इसे योजना घटक 'गुणवत्ता विकास' (परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार) और इसके विपरीत के लिए स्वीकृत किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ है कि गलत मदों के तहत

व्यय को दर्शाया गया है।

एपीडा द्वारा कार्यान्वित योजना घटकों को अनुदान के उद्देश्य सम्मत किया जाना चाहिए जैसा कि मंत्रालय के मंजूरी आदेशों में निर्दिष्ट है और अनुदान का उद्देश्य एपीडा के खातों में बिना किसी अस्पष्टता के उचित रूप से दर्शाया जाए।

घ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

v. पिछलें पैरों में हमारी टिप्पणियों के शर्ताधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं की इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं |

vi. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण और लेखांकन नीतियाँ और लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ, उपयुक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के शर्ताधीन रहते हुए, भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसार एक **सही तथा उचित** ब्यौरा देते हैं |

(1) जहां तक यह 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तुलन-पत्र और वित्तीय स्थिति से मेल खाता है; और

(2) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की घाटा राशि आय एवं व्यय लेखा से मेल खाती है

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 जनवरी 2025

(प्रमोद कुमार)
अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
उद्योग और कॉर्पोरेट मामले

लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अलग करने के लिए अनुबंध
(31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए)
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के लेखों पर

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता |

एपीडा का कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नही है और वाणिज्य विभाग आंतरिक लेखा परीक्षा करता है | वर्ष 2023-2024 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नही की गई थी |

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता |

एपीडा की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त और अनुरूप है।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली |

अचल संपत्तियों और उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मुख्यालय, नई दिल्ली में किया गया | हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों में संपत्तियों को भौतिक सत्यापन नही किया गया |

4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली |

एपीडा के लेखा- पुस्तकों में 31 मार्च 2024 तक कोई इन्वेंट्री नहीं है |

5. संविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता |

एपीडा ने नियमित रूप से संविधिक देयताओं का भुगतान किया है |

निदेशक (एएमजी-1)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	2023-24 (रु.)	2022-23 (रु.)
देयताएं			
मूल / पूंजीगत निधि	1	1,67,01,14,197	1,63,81,19,418
आरक्षित और अधिशेष	2	73,04,426	83,55,518
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	58,25,49,606	40,60,29,958
कुल		**2,25,99,68,229**	**2,05,25,04,894**
संपत्तियां			
अचल संपत्तियां	4	28,82,55,524	16,05,97,125
चालू संपत्ति, ऋण अग्रिम आदि	5	1,97,17,12,705	1,89,19,07,769
कुल		**2,25,99,68,229**	**2,05,25,04,894**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखों पर टिप्पणियाँ	14		

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

विवरण	अनुसूची	2023-24 (रु.)	2022-23 (रु.)
आय			
शुल्क/अंशदान	6	17,12,11,827	16,02,02,186
प्राप्त ब्याज	7	10,92,51,573	6,02,32,244
अन्य आय	8	4,74,05,408	2,94,04,104
पूर्व अवधि की आय		6,76,633	1,26,34,682
कुल (क)		**32,85,45,440**	**26,24,73,216**
व्यय			
स्थापना व्यय	9	18,10,43,645	15,57,00,418
अन्य प्रशासनिक व्यय	10	10,84,92,654	9,34,09,839
वित्तीय शुल्क	11	22,746	21,774
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	12	1,17,991	54,772
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	4	1,33,87,781	1,42,49,154
पूर्व अवधि व्यय		67,49,580	2,68,012
कुल (ख)		**30,98,14,396**	**26,37,03,969**
व्यय की तुलना में अतिरिक्त आय का मूल / पूंजी निधि में अंतरण (क-ख)		**1,87,31,044**	**(12,30,753)**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 1- मूल / पूंजी निधि :	2023-24		2022-23	
वर्ष के आरंभ में शेष	1,63,81,19,418		1,65,04,05,456	
जमा : शुद्ध आय का शेष (आय और व्यय खाते से अंतरित)	1,87,31,044		(12,30,753)	
जमा: पूंजीगत व्यय बट्टे-खाते में डाला गया जो अब पूंजीकृत है|	-		-	
जमा/घटा: विगत वर्षों में समायोजन/प्रतिदेय प्रविष्टी (*लेखों पर टिप्पणियां देखें)	1,32,63,735	1,67,01,14,197	1,10,55,285	1,63,81,19,418
सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित	-			-
वर्ष के अंत में शेष		**1,67,01,14,197**		**1,63,81,19,418**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 2- आरक्षित निधि एवं अधिशेष:	2023-24		2022-23	
1. आरक्षित पूंजी				
अंतिम खाते के अनुसार	83,55,518		95,65,660	
घटा/जमा: समायोजन				
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	10,51,092		12,10,142	
	73,04,426		83,55,518	
(अनुसूची 4 में विवरण) आरक्षित पूंजी में से आईसीपी-एमएस मशीन कमी	-	73,04,426	-	83,55,518
2. विशेष आरक्षित निधि:				
अंतिम लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान इजाफा	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-		-
3. सामान्य आरक्षित निधि:				
अंतिम लेखे के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान इजाफा	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
पूंजी निधि में अंतरित	-		-	
कुल		**73,04,426**		**83,55,518**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 3- चालू देनदारियां और प्रावधान :	2023-24		2022-23	
क. चालू देनदारियां				
1. स्वीकृति	-	-	-	-
2. देय दावे	-	-	-	
3. संविधिक देनदारियां				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य (विवरण समूह 1 में है)	1,18,36,116		97,24,237	
4. अन्य चालू देयताएं (विवरण समूह 2 में है)	44,91,09,223	46,09,45,339	26,86,78,854	27,84,03,091
कुल (क)		**46,09,45,339**		**27,84,03,091**
ख. प्रावधान				
1. उपदान (gratuity)		6,06,94,628		6,62,18,343
2. पट्टा किराया के लिए अन्य प्रावधान		181		181
3. संग्रहित अवकाश नकदीकरण		5,04,30,537		5,13,27,105
4. प्राप्य (receivables)		94,37,474		94,37,474
5. लेखा परीक्षा शुल्क		10,41,447		3,00,000
6. महंगाई भत्ता		-		2,69,865
7. वार्षिक रखरखाव शुल्क		-		47,950
8. स्रोत पर कर कटौती		-		-
9. अनुषंगी लाभ कर (एफ़बीटी)		-		25,949
कुल (ख)		**12,16,04,267**		**12,76,26,867**
कुल (क+ख)		**58,25,49,606**		**40,60,29,958**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची: 4 - अचल संपत्ति

(राशि रुपए में)

विवरण	दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2023 तक लागत	30.09.2023 से पहले संपत्ति में परिवर्धन	30.09.2023 के बाद संपत्ति में परिवर्धन	2023-24 के दौरान कटौती	31.03.2024 तक लागत	01.04.2023 तक मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	वर्ष के अंत तक कुल	31.03.2024 तक चालू वर्ष	31.03.2023 तक विगत वर्ष
भूमि और भवन:	10%											
क. मुफ्त कब्जा प्राप्त भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टे पर भवन, दिल्ली		22,80,40,676	-	-	-	22,80,40,676	20,30,96,325	24,94,435	-	20,55,90,760	2,24,49,915	2,49,44,350
ग. दिल्ली गेस्ट हॉउस फ्लेट्स/ परिसर		93,08,962	-	-	-	93,08,962	60,97,026	3,21,194	-	64,18,219	28,90,742	32,11,936
घ. गुवाहाटी कार्यालय भवन		4,03,43,301	-	-	-	4,03,43,301	2,08,26,220	19,51,708	-	2,27,77,928	1,75,65,373	1,95,17,081
ड. मुंबई कार्यालय भवन		90,71,000	-	-	-	90,71,000	81,77,715	89,329	-	82,67,043	8,03,956	8,93,285
च. बेंगलुरु कार्यालय भवन		4,45,55,480	-	-	-	4,45,55,480	2,25,06,629	22,04,885	-	2,47,11,514	1,98,43,967	2,20,48,852
छ. पट्टे, भूमि, मोदीपुरम		1	-	-	-	1	-	0	-	0	1	1
ज. हैदराबाद कार्यालय भवन		38,56,300	-	-		38,56,300	5,59,164	3,29,714	-	8,88,877	29,67,422	32,97,136
झ. कोलकाता कार्यालय भवन		41,93,640	-	-		41,93,640	5,55,437	3,63,820	-	9,19,258	32,74,382	36,38,202
ञ. वाराणसी कार्यालय भवन		23,08,450	10,75,000	-		33,83,450	3,34,725	3,04,872	-	6,39,598	27,43,852	19,73,724
ट- चेन्नई कार्यालय भवन		18,60,000	-	-	-	18,60,000	1,86,000	1,67,400		3,53,400	15,06,600	16,74,000
ठ- मिर्जापुर में भूमि		5,40,40,400	-	-	40,56,000	4,99,84,400	-	-		-	4,99,84,400	5,40,40,400
ड. भूमि और भवन (कैपिटल डबल्यूआईपी)		-	13,65,00,000	-	-	13,65,00,000	-	-	-		13,65,00,000	-
प्लांट मशीनरी और उपकरण	15%	1,77,02,511	37,11,864	-	-	2,14,14,375	1,33,67,047	2,07,099	-	1,45,74,146	68,40,229	43,35,464
							-	-		-	-	-
वाहन	15%	39,55,304	-	-	-	39,55,304	31,15,938	1,25,905	-	32,41,843	7,13,461	8,39,366
							-	-		-	-	-
फर्नीचर ओर फिक्स्चर्स	10%	92,49,098	6,48,452	6,29,450	6,000	1,05,21,000	41,28,889	6,07,739	-	47,36,628	57,84,372	51,20,209
							-	-		-	-	-
कार्यालय उपकरण	15%	2,65,61,129	9,69,892	11,33,349	-	2,86,64,370	1,71,93,767	6,35,590	-	1,88,29,356	98,35,015	93,67,364
							-	-		-	-	-
कम्प्यूटर का सहायक उपकरण	40%	3,09,67,139	3,85,749	7,86,260	92,608	3,20,46,540	2,52,93,154	5,44,103	-	2,78,37,257	42,09,284	56,73,986
							-	-		-	-	-
सॉफ्टवेयर	40%	12,35,418	-	4,11,864	-	16,47,282	12,13,648	91,080	-	13,04,728	3,42,553	21,769
चालू वर्ष का कुल योग (क)		**48,72,48,809**	**14,32,90,957**	**29,60,923**	**41,54,608**	**62,93,46,081**	**32,66,51,683**	**1,44,38,873**	**-**	**34,10,90,556**	**28,82,55,524**	**16,05,97,125**
घटा: आरक्षित पूंजी से ह्रास (10%/15%)* (ख)								10,51,092				
चालू वर्ष का कुल योग एपीडा (क-ख)		**48,72,48,809**	**14,32,90,957**	**29,60,923**	**41,54,608**	**62,93,46,081**	**32,66,51,683**	**1,33,87,781**	**-**	**34,10,90,556**	**28,82,55,524**	**16,05,97,125**
विगत वर्ष का कुल योग एपीडा (ग)		**42,18,92,089**	**6,19,66,227**	**33,90,493**	**-**	**48,72,48,809**	**31,11,92,387**	**1,54,59,296**	**-**	**32,66,51,683**	**16,05,97,125**	**11,06,99,703**
घटा: आरक्षित पूंजी से ह्रास (घ)								12,10,142				
विगत वर्ष का कुल योग (ग-घ)		**42,18,92,089**	**6,19,66,227**	**33,90,493**	**-**	**48,72,48,809**	**31,11,92,387**	**1,42,49,154**	**-**	**32,66,51,683**	**16,05,97,125**	**11,06,99,703**

* 4.41 करोड़ रुपये का अनुदान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से वर्ष 2001-02 में भवन की खरीद के लिए पूंजी व्यय के रूप में प्राप्त हुए और उसे पहले ही पट्टे शामिल किया जा चुका है। इस प्रकार की अनुदान राशि को तब से आरक्षित पूंजी और 10 प्रतिशत मूल्यह्रास के रूप में आरक्षित पूंजी में प्रतिवर्ष समायोजित किया जाता है।

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 5- चालू संपत्तियां, ऋण, अग्रिम	2023-24		2022-23	
क. चालू संपत्तियां				
1. विविध देनदार				
2. रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट आदि सहित)		21,183		25,427
(विवरण समूह 3 में है)				
3. बैंक में जमा राशि				
क. अनुसूची बैंकों में				
(विवरण समूह 14 में है)				
- चालू खातों पर	13,67,21,159		35,20,78,652	
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)	1,69,60,22,610		1,48,92,31,682	
- बचत खातों पर	-		-	
		1,83,27,43,769		1,84,13,10,334
		1,83,27,64,952		**1,84,13,35,761**

(राशि रूपये में)

ख ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पतियाँ				
1. ऋण				
क. कर्मचारी (विवरण समूह 4 में है)	60,75,787		65,99,385	
ख. इकाई के समान क्रियाकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं				
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-			
		60,75,787		65,99,385
2. नकद में अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त किये जाने वाली वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशि				
क. पूंजी खाते पर	-		-	
ख. प्राप्य (विवरण समूह 5 में है)	11,00,21,804		3,02,44,881	
ग. प्रतिभूतियां (विवरण समूह 6 में है)	24,17,393		24,17,393	
		11,24,39,197		3,26,62,274
3. अर्जित आय:				
क. (i) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-		-	
(ii) अन्य निवेशों पर (एफडीआर पर उपार्जित ब्याज)	2,04,32,769		1,13,10,350	
(iii) बीडीऍफ़ और डब्ल्यूडीऍफ़ की एफडी में निवेश		2,04,32,769	-	1,13,10,350
4. निधियों के विरुद्ध प्राप्य दावे		-		-
कुल (ख)		**13,89,47,753**		**5,05,72,008**
कुल (क+ख)		**1,97,17,12,705**		**1,89,19,07,769**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 6- शुल्क / अंशदान	2023-24		2022-23	
1. पंजीकरण शुल्क (आरसीएमसी)		5,13,86,284		5,67,23,230
2. निर्यात प्रमाण पत्र शुल्क (सीओई)		1,69,50,610		1,65,76,293
3. प्रोसेसिंग फीस (@5%)		1,79,02,186		1,93,50,336
4. बासमती चावल के लिए प्रोसेसिंग फीस (आरसीएसी)		8,49,72,747		6,75,52,327
कुल		**17,12,11,827**		**16,02,02,186**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 7- अर्जित ब्याज	2023-24		2022-23	
1. सावधि जमा पर:				
क. अनुसूचित बैंकों में		10,88,59,884		5,18,03,329
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में				
ग. संस्थानों में				
घ. अन्य				
2. बचत खतों पर:				
क. अनुसूचित बैंकों में		3,196		3,095
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में				
ग. डाकघर बचत खातों में				
घ. अन्य				
3. ऋण पर:				
क. कर्मचारी/स्टाफ		3,60,926		7,988
ख. अन्य				
4. कर्जदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज (आयकर रिफ़ंड पर ब्याज)		27,567		84,17,832
कुल		**10,92,51,573**		**6,02,32,244**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 8- अन्य आय	2023-24		2022-23	
1. सम्पत्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ		-		-
क. स्वामित्व वाली संपत्ति				
ख. अनुदान से प्राप्त अथवा निशुल्क प्राप्त संपत्तियां				
2. निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्त राशि				
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क (विवरण समूह 13 में है)		4,74,05,408		2,94,04,104
4. विविध आय-				-
क. बट्टे खाते में डाला गया व्यय		-		-
कुल		**4,74,05,408**		**2,94,04,104**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची 9- स्थापना व्यय	2023-24		2022-23	
क. वेतन और पारिश्रमिक (विवरण समूह 7 में है)		6,07,83,923		6,27,41,695
ख. भत्ते और बोनस (विवरण समूह 8 में है)		6,10,69,419		5,17,98,936
ग. भविष्य निधि में योगदान		1,07,24,166		97,58,617
घ. अन्य निधियों में योगदान (निर्दिष्ट करे)		-		-
ड. कर्मचारी कल्याण व्यय		14,40,019		9,53,191
च. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व्यय और सेवानिवृत्ति लाभ (विवरण समूह 9 में है।)		1,69,83,757		1,11,44,199
छ. प्रशासनिक शुल्क		3,00,18,361		1,88,79,221
ज. मानदेय		24,000		4,24,559
कुल		**18,10,43,645**		**15,57,00,418**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 10- अन्य प्रशासनिक व्यय	2023-24		2022-23	
क. विद्युत् और शक्ति		49,32,931		43,27,450
ख. बीमा		22,398		47,059
ग. मरम्मत और रखरखाव (विवरण समूह 10 में हैं)		2,30,79,714		2,51,90,909
घ. किराया, दरें और कर		35,92,064		31,41,755
ड. डाक,टेलीफ़ोन और संचार शुल्क (विवरण समूह 11 में है)		20,64,711		15,61,715
च. प्रिंटिंग और स्टेशनरी		46,91,578		57,32,929
छ. यात्रा और परिवहन व्यय (विवरण समूह 12 में है)		3,31,28,151		3,27,04,603
ज. समाचार पत्र व्यय		4,32,244		3,36,712
झ. बैठक और शुल्क पर व्यय		67,37,258		27,15,020
ञ. लेखा परीक्षकों के मानदेय		7,41,447		3,00,000
ट. कम्प्यूटर का सामान		23,54,753		17,47,579
ठ. कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क		51,72,649		30,79,038
ड. फोटोकॉपी शुल्क		64,096		55,922
ढ. प्रचार खर्च		3,46,012		1,02,323
ण. विविध व्यय		-		3,72,257
त. कार्यालय व्यय		94,32,889		44,99,696
थ. सुरक्षा शुल्क		59,43,979		68,27,970
द. अंतरण अनुदान पर खर्च		10,28,007		6,66,902
ध. नियुक्ति एवं चयन पर व्यय		14,41,246		-
न. स्थापना दिवस व्यय		10,13,110		-
प. एनपीओपी लेखापरीक्षा व्यय		22,73,416		-
कुल		**10,84,92,654**		**9,34,09,839**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि रूपये में

अनुसूची 11- वितीय शुल्क		**2023-24**		**2022-23**
बैंक शुल्क		22,746		21,774
कुल		**22,746**		**21,774**

(राशि रूपये में)

अनुसूची 12- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	**निधि-वार विवरण**				
				2023-24	**2022-23**
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-
ख. निधियों के परिवर्धन					
i. अनुदान/दान		-	-	80,00,00,000	80,00,00,000
ii. निधि से किये गये निवेश से आय					-
iii अन्य परिवर्धन		-	-	-	-
कुल (क+ख)	**-**	**-**	**-**	**80,00,00,000**	**80,00,00,000**
ग. निधियों के लक्ष्य हेतु उपयोग/व्यय					
i. पूंजीगत व्यय :					
- अचल संपत्ति	-	-	-	-	-
- परियोजनाओं के लिए दी गयी अनुदान :	-	-	-	-	-
अवसंरचना विकास				23,60,34,809	23,60,29,041
बाजार विकास				46,00,16,402	44,78,99,783
गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली				5,00,64,927	6,21,21,188
पूर्वोत्तर विकास निधि (एनईआर)				5,40,01,853	5,40,04,761
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय					-
कुल	-	-	-	**80,01,17,991**	**80,00,54,772**
ii. राजस्व व्यय:					
- वेतन,मजदूरी और भत्ते आदि |	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-				-
कुल	-	-	-	-	-
कुल (ग)	**-**	**-**	**-**	**80,01,17,991**	**80,00,54,772**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)				**-**	**-**
अनुदान प्राप्तियों पर योजना व्यय की अधिकता। (क+ख+ग)	**-**	**-**	**-**	**1,17,991**	**54,772**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रुपये में)

1. सांविधिक देनदारियां	2023-24		2022-23	
ईपीएफ में कर्मचारियों का योगदान		21,86,194		13,96,008
टीडीएस कर्मचारी		11,33,624		7,88,890
टीडीएस अनुबंध		15,08,612		11,81,903
टीडीएस किराया		54,34,106		49,77,413
टीडीएस व्यावसायिक		9,00,245		1,39,079
टीडीएस-जीएसटी		6,73,336		12,40,944
कुल		**1,18,36,116**		**97,24,237**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

2. अन्य चालू देनदारियां	2023-24	2022-23
अन्य विविध देनदार		
ईएमडी (जमा)	9,50,000	8,50,000
ईएमडी-फाल्कन एक्सिबिशन	1,00,000	1,00,000
ईएमडी सेवटी सेवन	36,000	36,000
बीईडीएफ द्वारा एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रिम	-	2,63,127
बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (बीईडीएफ)	38,48,344	1,56,20,285
कैटलिस्ट सोल्यूशन	4,21,974	4,21,974
जीआईएस	2,44,470	37,335
राष्ट्रीय शकर अनुसंधान केंद्र	2,55,095	2,55,095
मिसेज़ बेक्टर्स फ़ूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड	4,27,282	4,27,282
अथर्व इंटरनेशनल	7,48,719	7,48,719
वाची इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड,	4,41,576	4,41,576
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय लेसर	158	158
जी टी फ्रूटेक प्राइवेट लिमिटेड	1,31,740	-
हर्षित सांवल	8,20,334	-
होटा एग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड	1,20,000	-
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट (आई.आर.आर.आई)	4,64,617	-
कमलेश चन्द्र अग्रवाल	9,450	-
केजरीवाल बी केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	47,05,000	-
के एंड एस पार्टनर्स	60,000	-
लियोन फ़ूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	3,32,879	-
मैग्नम फ़ूड्स एंड स्नेक्स प्राइवेट लिमिटेड	12,027	-
मेहरिया एंड कंपनी	10,080	-
मोनिशा मित्रा	52,410	-
नर्मदा फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	1,883	-
ओसियानिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	6,54,118	-
पैन इंडिया	24,198	-
पेलिकन फ़ेसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	21,425	-
सन्गोला एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	73,456	-
शिव इम्पेक्स	67,202	-
श्री डेरी	5,069	-
यूबी ग्लोबल	63,990	-
वर्षा इंडस्ट्रीज	9,41,000	-
एलआईसी-एसएसएस	38,340	7,867
सिक्स्थ पी. मार्केटिंग	1,76,070	1,76,070
बायोटेक पार्क टेकनोलोजी इनकमवेशन सेंटर गुवाहाटी	5,00,000	-
इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन (आईटीपीओ)	54,000	54,000
मैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	10,000	-
नकोडा ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड	34,100	-
देवी चंद एंड संस	14,39,730	-
ट्राइडेंट एग्जिबिशन प्राइवेट लिमिटेड	10,000	-
भविष्य प्रिंटर्स	7,050	-
ओकायती टी कंपनी लिमिटेड	3,265	-
सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड	1,00,000	-
निर्यात योजना व्यापार अव सरंचना	9,63,00,000	-
देय वेतन	1,87,190	58,22,005
देय वेतन अनुबंध	2,63,877	2,63,340
बीइडीएफ को देय एफडी पर टीडीएस	19,00,158	19,00,158
फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री-फिक्की	45,60,263	-
मंदी परिषद हेड क्वार्टर	1,82,87,000	-
एनईआरएएमएसी लिमिटेड.	3,54,88,500	-
एस.के. यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्री. साइंस एंड टेक्नोलोजी	1,62,00,000	-
अन्य देनदारियाँ		
एपीडा कर्मचारी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी	14,68,941	5,23,646
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय	25,20,20,872	24,02,41,731
बकाया प्रशासनिक व्यय	17,88,204	-
बकाया आर एंड एम कम्प्यूटर	14,331	-
अग्रिम प्रोसेसिंग फीस	17,24,350	-
देय सुरक्षा जमा	4,88,486	4,88,486
कुल	***44,91,09,223***	***26,86,78,854***

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

3 - नकद शेष	2023-24		2022-23	
गुवाहाटी कार्यालय		521		521
दिल्ली		696		696
मुंबई		-		228
बेंगलुरु		7,761		9,649
हैदराबाद		611		611
कोच्चि		8,222		-
चेन्नई		3,372		13,722
कुल		**21,183**		**25,427**

(राशि रूपये में)

4 - अधिकारी/कर्मचारियों को अग्रिम	2023-24		2022-23	
यात्रा		1,55,687		1,00,299
हॉउस बिल्डिंग		4,74,846		3,98,615
मोटर वाहन		-		(2,383)
कंप्यूटर		96,940		4,680
विविध		7,66,088		11,38,184
एलटीसी		27,000		2,24,520
चिकित्सा		12,47,054		11,63,465
विदेशी मुद्रा विनियम		33,08,172		35,72,005
कुल		**60,75,787**		**65,99,385**

(राशि रूपये में)

6 - सुरक्षा जमा	2023-24		2022-23	
टेलीफ़ोन		3,67,554		3,67,554
टेलिक्स		55,900		55,900
डीएवीपी		2,10,000		2,10,000
अन्य - इस्टेट का एडी/बीएमएस प्रभाग		32,505		32,505
पेट्रोल		51,881		51,881
सुरक्षा जमा प्राप्य		15,73,078		15,73,078
स्पाइस बोर्ड-कोच्चि		26,475		26,475
बीपीसीएल		1,00,000		1,00,000
कुल		**24,17,393**		**24,17,393**

(राशि रूपये में)

7. वेतन और पारिश्रमिक	2023-24		2022-23	
मूल वेतन		5,47,66,700		5,75,89,418
अनुबंध वेतन		60,17,223		51,52,277
कुल		***6,07,83,923***		***6,27,41,695***

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

5 - प्राप्य (RECEIVABLES)	2023-24	2022-23
टीडीएस प्राप्य (2019-20)	31,38,792	31,38,792
टीडीएस प्राप्य (2020-21)	4,59,075	4,59,075
टीडीएस प्राप्य (2021-22)	-	4,24,051
टीडीएस प्राप्य (2022-23)	3,59,761	3,59,761
टीडीएस प्राप्य (2023-24)	96,085	-
एफबीटी प्रतिदेय	-	25,949
एयर इंडिया से वसूली योग्य	17,786	17,786
प्रति निधि मंडलों से वसूली योग्य	11,47,572	11,47,572
प्राप्य सेवा कर (2016-17)	79,14,350	79,14,350
फ्लेक्स फूड्स लिमिटेड	90,457	90,457
भारतीय तिलहन एवं उपज निर्यात संवर्धन परिषद	62,389	62,389
आवासीय किराया	42,231	42,231
रिलायबल फ्रेश	1,48,445	1,48,445
आईटीपीओ से प्राप्य	1,58,110	1,58,110
ऐरिया से प्राप्य	25,000	25,000
ईपीएफओ से प्राप्य	58,94,470	38,93,426
प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड	31,857	31,857
बाल्मर एंड लौरी एंड कंपनी लिमिटेड	12,77,274	-
हल्दी राम स्नैक्स प्रा. लिमिटेड,	69,405	69,405
बीकानेरवाला फूड्स प्रा. लिमिटेड	35,389	35,389
ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	15,000	-
सिक्किम स्टेट आर्गेनिक सर्टिफिकेट	42,000	
आईसीएआर सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टिट्यूट	1,88,100	-
नेशनल डिजाईन सेंटर	99,000	-
नेडस्पाइस डीहायड्रेशन इंडिया एलएलपी	73,663	-
रजनीश कुमार झा	1,34,908	-
फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफ़आईसीसीआई)	15,000	15,000
लेक व्यू रिसोर्ट	58,527	
अन्य प्रीपेड प्रशा. व्यय	-	4,667
इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ओर्गनाइजेशन (आईटीपीओ)	43,200	-
प्रीपेड बीमा शुल्क	9,788	
जीएसटी प्राप्य	1,06,355	1,21,21,169
कार्यालय उपकरणों का प्रीपेड मरम्मत और रखरखाव	19,562	-
सीबीआईसी को जमा अपील	90,13,603	-
फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री-एफ़आईसीसीआई (अग्रिम)	45,60,263	-
मंदी परिषद् हेड क्वार्टर (अग्रिम)	1,82,87,000	-
एनईआरएएमएसी लिमिटेड. (अग्रिम)	3,54,88,500	-
एस.के. यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्री. साइंस एंड टेक्नोलोजी (अग्रिम)	1,62,00,000	-
यू पी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड., वाराणसी	40,56,000	-
नवयुग एम्पायर	3,000	-
सहायक निदेशक संपदा	63,000	-
आर. रविन्द्रा	5,16,888	
अशोक गर्ग एंड कंपनी	60,000	60,000
कुल	**11,00,21,804**	**3,02,44,881**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 तक आय और व्यय खाते के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

8 - भत्ते और बोनस		2023-24		2022-23
महंगाई भत्ता		2,47,46,641		2,17,13,053
अन्य भत्ता		1,72,78,829		1,53,64,711
अवकाश यात्रा भत्ता		5,97,690		12,88,847
परिवहन भत्ता		58,54,293		51,73,632
चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय		1,11,44,366		67,26,156
बोनस (तदर्थ)		8,60,664		8,27,572
ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति		5,86,936		7,04,965
कुल		**6,10,69,419**		**5,17,98,936**

(राशि रूपये में)

9 - कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति पर व्यय		2023-24		2022-23
ग्रेच्युटी		81,76,771		50,70,065
अवकाश नकदीकरण		88,06,986		60,74,134
कुल		**1,69,83,757**		**1,11,44,199**

(राशि रूपये में)

10 - मरम्मत और रखरखाव		2023-24		2022-23
कार्यालय परिसर		2,00,11,408		2,21,53,654
कार्यालय के उपकरण		2,18,170		10,17,956
कंप्यूटर और कंप्यूटर सहायक उपकरण		10,40,914		3,88,243
एपीडा गेस्ट हाउस, दिल्ली		3,40,480		3,55,105
स्टाफ कार		14,68,742		12,75,951
कुल		**2,30,79,714**		**2,51,90,909**

(राशि रूपये में)

11 - डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क		2023-24		2022-23
कार्यालय टेलीफोन शुल्क		15,15,156		10,34,243
आवासीय टेलीफोन शुल्क		2,83,160		1,73,216
डाक और कूरियर		2,66,395		3,54,256
कुल		**20,64,711**		**15,61,715**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31 मार्च, 2024 तक आय और व्यय खाते के भाग के रूप में समूहीकरण

(राशि रूपये में)

12 - यात्रा और वाहन		2023-24		2022-23
यात्रा किराया (घरेलू)		1,26,87,998		1,55,35,423
वाहन		41,63,450		31,31,706
दौरा और यात्रा व्यय		1,62,76,703		1,40,37,474
कुल		**3,31,28,151**		**3,27,04,603**

(राशि रूपये में)

13- विविध सेवाओं के लिए शुल्क		2023-24		2022-23
विविध. प्राप्तियां		49,57,749		1,15,63,177
प्रत्यायन शुल्क		-		13,30,458
सामान्य प्राप्तियां		44,71,971		57,90,869
मीट प्लांट शुल्क		32,00,000		17,65,508
पैक हाउस शुल्क		3,70,000		4,35,000
मूंगफली इकाई शुल्क		21,25,000		18,60,000
शुकर इकाई शुल्क		-		25,000
विविध. रसीद-एफएसएमएस प्रमाणीकरण		-		1,50,000
सूचना का अधिकार		260		200
चीनी (आयात) शुल्क		2,51,25,428		51,10,115
निगरानी शुल्क		-		3,66,102
एनपीओपी शुल्क		71,55,000		8,23,777
एचएसीसीपी पंजीकरण शुल्क		-		1,83,898
कुल		***4,74,05,408***		***2,94,04,104***

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र के भाग के रूप में समूह 14

(राशि रूपये में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम और स्थान	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		चालू/बचत बैंक खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि	चालू/बचत बैंक खाता शेष	सावधि जमा	कुल राशि
1	केनरा बैंक, दिल्ली	1,55,49,859	83,25,07,991	84,80,57,850	11,05,76,762	86,07,24,157	97,13,00,919
2	केनरा बैंक, बेंगलुरु	3,38,981	-	3,38,981	5,50,889	-	5,50,889
3	केनरा बैंक, गुवाहाटी	9,86,934	-	9,86,934	1,72,658	-	1,72,658
4	केनरा बैंक, हैदराबाद	6,26,324	-	6,26,324	7,779	-	7,779
5	केनरा बैंक, मुंबई	5,89,282	-	5,89,282	7,39,635	-	7,39,635
6	भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली	62,66,321	2,70,15,417	3,32,81,738	16,37,83,144	2,52,20,140	18,90,03,284
7	भारतीय स्टेट बैंक, चेन्नई	74,578	-	74,578	3,11,754	-	3,11,754
8	भारतीय स्टेट बैंक, कोच्चि	6,41,591	-	6,41,591	37,838	-	37,838
9	भारतीय स्टेट बैंक, विशाखापत्तनम	79,874	-	79,874	79,874	-	79,874
10	एचडीएफसी बैंक, दिल्लीi खाता संख्या 9205)	1,34,45,910	25,65,00,000	26,99,45,910	94,41,518	14,65,00,000	15,59,41,518
11	एचडीएफसी बैंक, हौज़ खास,दिल्ली (खाता संख्या 2235)	4,52,39,893	40,59,99,202	45,12,39,095	10,76,556	38,85,00,000	38,95,76,556
12	एचडीएफसी बैंक, वाराणसी	2,53,840	-	2,53,840	6,85,576	-	6,85,576
13	एचडीएफसी बैंक, अहमदाबाद	1,08,300	-	1,08,300	1,05,104	-	1,05,104
14	एचडीएफसी बैंक, भोपाल	63,550	-	63,550	4,07,090	-	4,07,090
15	एचडीएफसी बैंक, चंडीगढ़	42,317	-	42,317	42,317	-	42,317
16	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीएनए, दिल्ली	199	-	199	1,02,55,026		-
17	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,एसएनए होल्डिंग अकाउंट	2,39,99,957	-	-	-	-	-
18	इंडियन बैंक, दिल्ली	16,30,663	-	16,30,663	37,50,485	-	37,50,485
19	पंजाब नेशनल बैंक , कोलकाता	3,52,398	-	3,52,398	1,79,934	-	1,79,934
20	आईसीआईसीआई बैंक, दिल्ली	2,53,72,259	17,40,00,000	19,93,72,259	4,98,36,891	6,82,87,385	11,81,24,276
21	जम्मू एंड कश्मीर बैंक,	29,239	-	29,239	37,819	-	37,819
22	यस बैंक, दिल्ली	10,28,889	-	-	-	-	-
	कुल	**13,67,21,159**	**1,69,60,22,610**	**1,80,77,14,923**	**35,20,78,652**	**1,48,92,31,682**	**1,83,10,55,308**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रूपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
प्रारंभिक शेष			**कलव्यय :**	-	-
रोकड़ शेष	25,427	10,830	स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय	13,99,75,034	11,36,66,810
बैंक में शेष			बैंक शुल्क	22,746	21,774
चालू खाते में	35,20,78,652	30,68,34,208			
जमा खातों में	-	-	**विभिन्न परियोजनाओं के**		
बचत बैंक खातों में	-	-	**लिए भुगतान:**		
			परिवहन सहायता		-
प्राप्त अनुदान			अवसरंचना विकास	23,60,34,809	23,60,29,041
भारत सरकार से			बाजार विकास	46,00,16,402	44,78,99,783
नियोजित योजनाओं के लिए	80,00,00,000	80,00,00,000	गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली	5,00,64,927	6,21,21,188
गैर नियोजित योजना व्यय के लिए	-	-	पूर्वोत्तरविकास निधि (एनईआर)	5,40,01,853	5,40,04,761
विशिष्ट निधियों के लिए (निर्धारित)	-	-			
विशिष्ट निधि (पूंजीगत संपत्ति) के लिए	-	-			
			निर्धारित/बंदोबस्ती निधि में से	-	-
से निवेश पर ब्याज			वर्तमान देनदारियों में कमी	5,97,22,899	11,50,03,960
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	-	-			
हमारी निधि	-	-	अचल सम्पतियों की खरीद	14,62,51,880	6,53,56,720
प्राप्त ब्याज:			विशिष्ट अनुदान/निधि के लिए भुगतान		
सावधि जमा	10,88,59,884	3,07,46,490	अप्रयुक्त अनुदान के लिए भुगतान	-	-
बचत बैंक जमा	3,196	8,79,175			
आयकर प्रतिदेय	27,567	84,17,832			
			अन्य भुगतान:		
आय:			कर्मचारियों को अग्रिम/ऋण	4,47,000	2,94,153
प्रक्रिया शुल्क(आरसीएसी)	8,49,72,747	6,75,52,327	बकाया देनदारियों का भुगतान	-	-
पंजीकरण शुल्क (आरसीएमसी)	5,13,86,284	5,67,23,230	बीईडीएफ को भुगतान(आरसीएसी शुल्क के लिए)	5,54,79,824	4,16,07,431
निर्यात प्रमाणपत्र शुल्क (सीओई)	1,69,50,610	-	सीबीआईसी को जमा अपील	90,13,603	
प्रक्रिया शुल्क (@5%)	1,79,02,186	-			
विविध रसीदें (अन्य शुल्क)	4,74,05,408	6,53,30,733			
			किए गए सावधि जमा	1,35,71,05,016	1,09,73,17,993
परियोजना प्राप्तियां :					
अवसरंचना विकास	-	-	**सांविधिक दायित्व:--**		
बाजार का विकास	14,66,77,697	13,54,38,748	टीडीएस (जीएसटी पर)	29,43,610	11,22,550
अन्य	-	-	टीडीएस (आयकर)	2,72,41,351	2,34,39,642
			ईपीएफ	1,46,80,225	1,29,56,492
अन्य प्राप्तियां			जीएसटी	34,98,775	1,07,67,186
ऋण के बदले कर्मचारियों से प्राप्तियाँ	62,76,151	45,56,020			
बीजी के आह्वान से प्राप्तिया	-	-	**कर्मचारी कल्याण व्यय :---**		
आयकर प्रतिदेय	5,28,780	2,41,32,385	स्थायी कर्मचारियों का वेतन	7,70,11,474	6,47,93,333
ईएमडी (जमा)	1,50,000	-	संविदा कर्मचारियों का वेतन	40,19,078	32,83,661
अन्य रसीदें(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय)	-	64,55,365	कर्मचारी क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसायटी	34,53,887	43,81,569
अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि	-	-	**अंतिम शेष द्वारा :**		
परिपक्व सावधि जमा	1,20,44,82,146	1,19,90,94,783	रोकड़ शेष	21,183	25,427
			बैंक में शेष राशि		
			चालू खाते में	13,67,21,159	35,20,78,652
			जमा खातों में		
			बचत बैंक खातों में		
कुल	**2,83,77,26,734**	**2,70,61,72,125**	**कुल**	**2,83,77,26,734**	**2,70,61,72,125**

सौरभ अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए लाभ समाधान विवरण

अनुसूची संख्या	मद	चालू वर्ष	विगत वर्ष	अंतर	चालू वर्ष के लाभ पर प्रभाव
6	शुल्क/अंशदान	17,12,11,827	16,02,02,186	1,10,09,641	बढ़ोत्तरी
7	अर्जित ब्याज	10,92,51,573	6,02,32,244	4,90,19,329	बढ़ोत्तरी
8	अन्य आय	4,74,05,408	2,94,04,104	1,80,01,304	बढ़ोत्तरी
9	स्थापना व्यय	18,10,43,645	15,57,00,418	(2,53,43,227)	घटोत्तरी
10	अन्य प्रशासनिक व्यय	10,84,92,654	9,34,09,839	(1,50,82,815)	घटोत्तरी
	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	1,17,991	54,772	(63,219)	घटोत्तरी
11	वित्तीय शुल्क	22745.95	21774	(972)	घटोत्तरी
	विगत अवधि आय	6,76,633	1,26,34,682	(1,19,58,049)	घटोत्तरी
	विगत अवधि व्यय	67,49,580	2,68,012	(64,81,568)	घटोत्तरी
4	मूल्यह्रास	1,33,87,781	1,42,49,154	8,61,373	बढ़ोत्तरी
	लाभ पर शुद्ध प्रभाव			**1,99,61,798**	बढ़ोत्तरी
	लाभ और हानि खातों के अनुसार शुद्ध लाभ	**1,87,31,044**	**(12,30,753)**	**1,99,61,799**	**बढ़ोत्तरी**

सौरव अग्रवाल
(सहायक महाप्रबंधक)

डॉ. सुधांशु
(सचिव)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूची 13- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा सम्मेलन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और लेखांकन की पद्धति पर आधारित हो।

राजस्व मान्यताः

i) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और निर्धारित निधि में अंतरित जाता है।

ii) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिदेय (refundable) के रूप में दिखाया जाता है।

iii) सावधि जमा पर ब्याज की गणना प्रोद्भवन(Accrual) आधार पर की जाती है।

2. इन्वेंटरी वैल्यूएशन

एपीडा न तो किसी निर्माण गतिविधि और न ही किसी व्यापारिक गतिविधि में संलग्न है और न ही किसी स्टॉक रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता है।

3. निवेश

सावधि जमा में किए गए निवेश को समूह 14 के तहत बैंक बैलेंस में दिखाया जाता है।

4. पुनः समूहीकरण

पिछले वर्ष के आंकड़ों को बेहतर प्रस्तुति और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक पाए जाने पर पुनः समूहीकृत और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

5. अचल संपत्ति

क) अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया जाता है, जिसमें आंतरिक माल ढुलाई, और अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय (शुल्क और करों को छोड़कर) शामिल हैं। निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व-परिचालन व्यय (इसके पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज सहित) पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का हिस्सा हैं।

ख) वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर पूंजीकृत किया जाता है।

ग) विशेष रूप से स्थायी संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को पूंजीकृत किया जाता है और संबंधित राशि को पूंजी आरक्षित खाते में रखा गया है। ऐसी स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास लागू दरों के अनुसार लिया जा रहा है और समकक्ष राशि को ऐसी पूंजी आरक्षित से घटा दिया गया है।

घ) **मिर्जापुर/चुनार परियोजना**: इस परियोजना को निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाता है। एपीडा को इस योजना के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से 9.63 करोड़ रुपये, एमपीईडीए से योगदान के रूप में 0.66 करोड़ रुपये और ईआईसी ऑफ इंडिया से 1.98 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अब तक एपीडा ने सीपीडब्ल्यूडी को 13.65 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। चूंकि परियोजना प्रगति पर है, इसलिए एपीडा ने 13.65 करोड़ रुपये की भूमि और भवन (पूंजीगत डब्ल्यूआईपी) को अचल परिसंपत्तियों में मान्यता दी है।

6. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 में दी गई दरों के अनुसार लिखित मूल्य के आधार पर प्रदान किया गया है।।

7. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

सरकारी अनुदान/सब्सिडी की गणना वसूली के आधार पर की जाती है। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को निर्धारित निधि और संबंधित व्यय के तहत दिखाया जाता है और संबंधित निधि के तहत हिसाब लगाया जाता है।

8. कोष/पूंजीगत निधि

वर्तमान वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय की कोई भी अतिरिक्त राशि कोष/पूंजीगत निधि में अंतरित की जाती है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का हिसाब लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर लगाया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को अचल संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्तियों से संबंधित है और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में माना जाता है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम प्रावधान 1952 के अनुसार प्रमाणित बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ग्रेच्यूटी और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान है | कर्मचारियों की मृत्यु / सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के प्रावधान की गणना इस आधार पर की जाती है कि वर्ष के अंत में कर्मचारियों को सम्पूर्ण देयता देय है |

कर्मचारियों की मृत्यु / सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के प्रावधान कि गणना इस आधार पर की गई है कि कर्मचारी वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के पात्र है।

11. आरक्षित और अधिशेष

इसमें पूंजी आरक्षित होता है जो पहले के वर्षों में प्लांट और मशीनरी की खरीद और भवनों के निर्माण के लिए बनाया गया था।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूची 14- आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. आकस्मिक देयताएं		
इकाई के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
एपीडा द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी के संबंध में	शून्य	शून्य
एपीडा की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र	शून्य	शून्य
बैंकों में छूट दिए गए बिल	शून्य	शून्य
निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांग-		
आयकर/टीडीएस	शून्य	शून्य
नगरपालिका कर	शून्य	शून्य
सेवा कर**	रु. 41.83 करोड़	रु. 40.31 करोड़
जीएसटी	---	---
आयुक्त के आदेश के विरुद्ध एक याचिका दायर की गयी और सुरक्षा/प्रतिभूति जमा के रूप में 90,13,603.00 रुपये की राशि जमा की गई है। ** चालू वित्त वर्ष में सेवा कर मांग के प्रति **41,82,86,134.00 रुपए और पिछले वित्त वर्ष में **40,30,92,432.00 रुपए** की आकस्मिक देयता है। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े बहाल कर दिए गए हैं। *** पिछले वित्त वर्ष में 31.24 करोड़ रुपये "नुकसान के मुआवजे की मांग करने वाले अंगूर के निर्यातकों द्वारा दर्ज दावों" के तहत दिखाए गए थे। तथापि, दावों की समीक्षा करने पर प्रबंधन ने आकस्मिक देयताओं से इसे हटाने का निर्णय लिया है क्योंकि यह एपीडा से संबंधित नहीं है।		
गैर-निष्पादन आदेशों के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, लेकिन एपीडा द्वारा प्रतिवाद किया गया	शून्य	शून्य

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों पर अनुमानित मूल्य और प्रदान नहीं किया गया (अग्रिम का शुद्ध)
रु. शून्य रु. शून्य

3. लीज बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी की राशि के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत किराये के लिए भविष्य के दायित्व
रु. शून्य रु. शून्य

4. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम का व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर मूल्य है, जो तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

5. कराधान

(क) एपीडा की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29ए)(एफ) के तहत आयकर से छूट प्राप्त है और इसलिए, आयकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) विभागीय सेवा कर/जीएसटी लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन है।

(ग) एपीडा ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नियमित आधार पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह और भुगतान किया है। जीएसटी रिटर्न जीएसटी कानूनों के अनुसार दाखिल किए गए हैं।

(घ) टीडीएस काट लिया गया है और केंद्र सरकार को भुगतान किया गया है और वित्तीय वर्ष के लिए टीडीएस रिटर्न भी नियमित रूप से दाखिल किया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

सी.आई.एफ. आधार पर परिकलित आयात का मूल्य:	चालू वर्ष	विगत वर्ष
तैयार माल की खरीद	शून्य	शून्य
कच्चे माल और घटक (पारगमन सहित)	शून्य	शून्य
पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	शून्य
स्टोर पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियाँ	शून्य	शून्य

विदेशी मुद्रा में व्ययः		
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में भेजा गया धन और ब्याज	शून्य	शून्य
अन्य व्ययः		
प्रचार गतिविधियाँ (प्रतिनिधिमंडल की यात्रा, विदेश यात्रा सहित)	रु.17.23 करोड़	रु. 7.18 करोड़
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	शून्य	शून्य
किताबें और साहित्य	शून्य	शून्य
अवसंरचना विकास पूंजी परियोजना	शून्य	शून्य
आय: एफ़ओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

7. निधि/पूंजीगत निधि समायोजन-शुद्ध राशि रु.1,32,63,735.00 रु.1,10,59,951.00

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निधि/पूंजीगत निधि को निम्नलिखित राशियों द्वारा समायोजित किया गया हैः

- रु. 1,86,91,653.00 केनरा बैंक से पिछले वित्तीय वर्ष के एफडीआर पर प्राप्य ब्याज की राशि है।
- रु. 44,90,421.00 एचडीएफसी बैंक से पिछले वित्तीय वर्ष के एफडीआर पर प्राप्य ब्याज की राशि है।
- रु. 87,03,166.12 पिछले वर्षों की जीएसटी की प्राप्य राशि होने के नाते अब कॉर्पस फंड में हस्तांतरित कर दी गई है।

8. पूर्व अवधि आय रु.6,76,633.00 रु.1,26,34,682.00

- कॉमनेट एक्सिबिशन्स से वसूली योग्य राशि होने के कारण रु. 2,00,000.00 पूर्व अवधि आय के रूप में दर्शाए गए।
- रु. 3,98,471.00 भारतीय तिलहन निर्यात संवर्धन परिषद से प्राप्य जीएसटी की राशि पूर्व अवधि आय के रूप में दर्शाई गई है।

9. पूर्व अवधि व्यय रु.67,49,580.00 रु.2,68,012.00

- रु. 26,16,067.00 सीएजी हाफ मार्जिन नंबर 08 के अनुसार किए गए वेतन के प्रावधान की राशि है।
- रु. 3,16,709.00 सीएजी हाफ मार्जिन नंबर 10 के अनुसार किए गए सुरक्षा शुल्क के प्रावधान की राशि है।
- रु.13,71,000.00 बोर्ड मीटिंग व्यय की राशि पहले योजना व्यय के तहत दिखाई गई थी, जिसे अब सीएजी हाफ मार्जिन नंबर 11 के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रतिदेय के रूप में दिखाया गया है।

10. वर्तमान देनदारियां और प्रावधानः चालू वर्ष पिछला वर्ष

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधानः

लेखापरीक्षा शुल्क (आईएएडी)	रु.7,41,447.00	रु.3,00,000

एपीडा द्वारा अनुसरित लेखांकन मानकों की सूचीः

लेखांकन मानक -1	लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण
लेखांकन मानक -5	अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन
लेखांकन मानक -6	मूल्यह्रास लेखा
लेखांकन मानक -9	राजस्व मान्यता
लेखांकन मानक -10	अचल संपत्तियों के लिए लेखांकन
लेखांकन मानक -12	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन
लेखांकन मानक -15	कर्मचारी लाभ
लेखांकन मानक -29	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

पता : तीसरी मन्जिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, (खेल गांव के सामने) नई दिल्ली-110016, भारत
दूरभाष : 91-11-2867007, 20867008, 20863919, 26850301, 41486013
ई-मेल : headq@apeda.gov.in वेबसाईट : www.apeda.gov.in